I

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

दशम प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 01.02.2019 दोपहर 12:15 बजे, सभागार, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में प्रबंध मंडल की दशम बैठक डॉ जी॰ एल॰ केशवा माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

क्र. स.	सदस्य नाम	
1.	डॉ॰ जी॰ एल॰ केशवा, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ॰ राम गोप मीणा, अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन कोटा। (अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रतिनिधी)	पदेन सदस्य
3.	श्रीमति प्रियंका गोस्वामी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा (अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, राजस्थान सरकार, जयपुर की प्रतिनिधी)	पदेन सदस्य
3.	डॉ आई॰ बी॰ मोर्या, अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड	सदस्य
4.	डॉ एस॰ के॰ जैन, निदेशक मानव संसाधन विकास, कृ॰वि॰, कोटा।	सदस्य
5.	डॉ॰ एच॰ आर॰ चौधरी, प्रोफेसर, कृ॰वि॰, कोटा।	सदस्य
6.	डॉ एल॰ के॰ दशोरा, आई॰सी॰ए॰आर॰ प्रोफेसर एमेरेटस, कृ॰वि॰, कोटा।	विशेष आमंत्रित
7.	डॉ॰ विधि शर्मा, वित्त नियत्रंक	विशेष आमंत्रित
8.	श्री राम दयाल मीणा, कुलसचिव	पदेन सचिव

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर/उनके प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर/उनके प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा नामित सदस्य डॉ॰ के॰ के॰ सिंह, सहायक महानिदेशक, डॉ॰ नारायण लाल गुप्ता (शिक्षाविद), राजस्थान सरकार द्वारा नामित सदस्य एवं मदन सिंह राठौड़ (शिक्षाविद), राजस्थान सरकार द्वारा नामित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात बैठक की कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

बोम–10/2019/01: **नवम प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 25.09.2018 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।**

प्रबन्ध मण्डल की नवम बैठक दिनांक 25.09.2018 को आयोजित की गई थी। बैठक का कार्यवाही विवरण **(पृष्ठ संख्या 01 से 06)** अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी।

निर्णयः **कार्यवाही विवरण सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

बोम–10/2019/02: **नवम प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 25.09.2018 की कार्यवाही विवरण पर की गयी कार्यवाही रिपोर्ट।**

प्रबन्ध मण्डल की नवम बैठक दिनांक 25.09.2018 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट **(पृष्ठ संख्या 07 से 14)** अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी।

निर्णयः **कार्यवाही रिपोर्ट का माननीय सदस्यो ने अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।**

बोम–10/2019/03 **द्ववादश विद्या परिषद की बैठक दिनांक 23.01.2019 की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत।**

द्ववादश विद्या परिषद की कार्यवाही विवरण **(पृष्ठ संख्या 15 से 19)** तक सदस्यों के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी, विद्या परिषद में पारित किये गये मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है:

1. स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति छात्रों के पंजीकरण के लिये कोडिंग सिस्टम का अनुमोदन।
2. स्नातकोत्तर एवं विद्यावाचस्पति पाठ्यक्रम के लिये आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट ऑवर का अनुमोदन।
3. कृषि महाविद्यालय, कोटा की दिनांक 12.10.2018 को बोर्ड ऑफ स्टेडिज की आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।
4. स्नातक/स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति में प्रवेश के लिये राज्य स्तर पर आयोजित की जाने वाली JET/ Pre-PG/ Ph.D परीक्षा 2019 के लिये आवश्यक सामान्य निर्देशों, पाठ्यक्रम आदि का अनुमोदन।

5. कृषि महाविद्यालय, कोटा में अकादमिक सत्र 2019–20 से कृषि प्रसार एवं संचार (Agriculture Extemnsion and Comunication) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमोदन।
6. राज्य स्तरीय JET/Pre-PG/Ph.D परीक्षा 2019 के कार्य के लिये लगाये जाने वाले विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये मानदेय निर्धारण का अनुमोदन।
7. B.Sc. (Honors) कृषि एवं B.Sc. (Honors) उद्यानिकी में अकादमिक सत्र 2019–20 से सीनीयर सैकैण्डरी की मैरिट के आधार पर क्रमशः 10 एवं 5 सीटो पर प्रवेश देने सम्बन्धित नियमों का अनुमोदन किया गया।
8. उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय में अकादमिक सत्र 2019–20 से Silviculture एवं Agroforestry में विद्यावाचस्पति का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का अनुमोदन।
9. अशैक्षणिक कर्मचारियों की लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिये मानदेय निर्धारण का पुष्टिकरण बाबत अनुमोदन।
10. प्रधानमंत्री विशेष छात्रवति योजना (PMSSS) के तहत जम्मू एवं कश्मीर के विद्यार्थियों के लिये स्नातक (ऑनर्स) कृषि में प्रवेश हेतु Supernumerary quota के प्रावधानों का अनुमोदन।
11. अन्तर महाविद्यालय खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिये विद्यार्थियों, अधिकारियों एवं प्रशिक्षक के लिये भत्ते की दर के निर्धारण का अनुमोदन।
12. राज्य स्तरीय JET/ Pre-PG/ Ph.D प्रवेश परीक्षा 2019 के लिये प्रश्न पत्र एवं उत्तर पंजिका बनाने के लिये मानदेय।
13. कृषि महाविद्यालय, कोटा में सत्र 2019–20 से पौध व्याधि में विद्यावाचस्पति पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का अनुमोदन।
14. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 11887–908 दिनांक 27.12.2018 के तहत Best Teacher Award एवं Certificate for Appreciation के लिये गठित कमेटी की कार्यवाही विवरण का पुष्टिकरण।

निर्णय **ग्यारहवी विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।** साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री विशेष छात्रवति योजना (PMSSS) के तहत जम्मू एवं कश्मीर के विद्यार्थियों के लिये

स्नातक (ऑनर्स) कृषि में प्रवेश हेतु 02 Supernumerary सीटों के प्रावधान करने की अनुमति राज्य सरकार से भी ली जावे।

कार्यवाही *कुल सचिव।*

बोम–10/2019/04: बिल्डिंग (भवन) कमेटी की बैठक दिनांक 14.12.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।

विश्वविद्यालय के बिल्डिंग (भवन) कमेटी की बैठक दिनांक 14.12.2018 को सभागार, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में आयोजित की गई थी। बैठक का कार्यवाही विवरण **(पृष्ठ संख्या 20 से 23)** पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय **बिल्डिंग (भवन) कमेटी की बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

कार्यवाही *सम्पदा अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा एवं बिल्डिंग (भवन) कमेटी में दर्शाये गये सम्बन्धित अधिकारी।*

बोम–10/2019/05: राज्य स्तरीय JET/ Pre-PG/ Ph.D प्रवेश परीक्षा 2019 के लिये दो विशेषज्ञ की सेवायें लेने एवं मानदेय बाबत।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय JET/ Pre-PG/ Ph.D प्रवेश परीक्षा 2019 के सुचारू रूप से संचालन हेतु दो विशेषज्ञ डॉ॰ के॰बी॰शुक्ला, पूर्व प्रोफेसर एवं जेट, समन्वयक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं डॉ॰ एल॰के॰ दशोरा, भूतपूर्व अधिष्ठाता एवं प्रोफेसर इमेरट्स, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की सेवायें लिये जाने एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार मानदेय स्वीकृत करने हेतु **(पृष्ठ संख्या 24)** अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय **प्रस्ताव का अवलोकन किया और सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

कार्यवाही *वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।*

बोम–10/2019/06: सेवानिवृत कर्मचारी की सेवा अवधि में विस्तार करने बाबत।

- सेवानिवृत कार्मिक श्री भंवर लाल नरसल, सहायक अभियंता (जन्म तिथि 01. 06.1955) अनुबन्ध पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 8158–64 दिनांक 27.09.

2018 के तहत दिनांक 05.09.2018 से 04.12.2018 तक रिक्त पद कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध अनुबन्ध पर कार्य करने हेतु संपदा अधिकारी कार्यालय में नियुक्ति दी गई। इन्हे दिनांक 04.12.2018 को 02 वर्ष पूर्ण हो गये है। **(पृष्ठ संख्या 25)।**

- सेवानिवृत कार्मिक श्री ओ॰ पी॰ गोयल (जन्म तिथि 12.08.1954) अनुबन्ध पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 5302–06 दिनांक 27.07.2018 के तहत दिनांक 21.07.2018 से 20.01.2019 तक रिक्त पद निजी सचिव के विरूद्ध अनुबन्ध पर कार्य करने हेतु निजी सचिव कार्यालय में नियुक्ति दी गई। इन्हे दिनांक 20.01.2019 को 04 वर्ष पूर्ण हो गये है। **(पृष्ठ संख्या 26)।**
- सेवानिवृत कार्मिक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, क्लर्क ग्रेड–प्रथम (जन्म तिथि 01. 01.1957) अनुबन्ध पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 5296–530 दिनांक 26. 07.2018 के तहत दिनांक 04.08.2018 से 03.02.2019 तक रिक्त पद आशुलिपिक के विरूद्ध अनुबन्ध पर कार्य करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटा में नियुक्ति दी गई। इन्हे दिनांक 03.02.2019 को 02 वर्ष पूर्ण हो जायेगें। **(पृष्ठ संख्या 27)।**
- सेवानिवृत कार्मिक श्री टी॰सी॰ जैन, वरिष्ठ लिपिक (जन्म तिथि 01.07.1955) अनुबन्ध पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 8172–75 दिनांक 27.09.2018 के तहत दिनांक 03.09.2018 से 02.03.2019 तक रिक्त पद क्लर्क ग्रेड–प्रथम के विरूद्ध अनुबन्ध पर कार्य करने हेतु नियुक्ति दी गई। विश्वविद्यालय में सेवानिवृति के उपरान्त पुर्नः नियुक्ति पर कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा पर कार्य करते हुये दिनांक 02.03.2019 को 03 वर्ष पूर्ण होने जा रहे है। **(पृष्ठ संख्या 28)।**
- सेवानिवृत श्री राधेश्याम एनिया, क्लर्क ग्रेड–प्रथम (जन्म तिथि 25.07.1958) अनुबन्ध पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 8165–67 दिनांक 27.09.2018 के तहत दिनांक 09.09.2018 से 08.03.2019 तक रिक्त पद क्लर्क ग्रेड–द्वितीय के विरूद्ध अनुबन्ध पर कार्य करने हेतु संपदा कार्यालय में नियुक्ति दी गई। इन्हे दिनांक 08.03.2019 को 02 वर्ष पूर्ण हो जायेगें। **(पृष्ठ संख्या 29)।**
- सेवानिवृत कार्मिक श्री राम सहाय बैथाडा, क्लर्क ग्रेड–प्रथम (जन्म तिथि 25.

04 1956) अनुबन्ध पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 9888–94 दिनांक 29.10. 2018 के तहत दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक रिक्त पद क्लर्क ग्रेड–द्वितीय के विरूद्ध अनुबन्ध पर कार्य करने हेतु वित्त नियंत्रक कार्यालय में नियुक्ति दी गई। इन्हे दिनांक 31.03.2019 को 02 वर्ष पूर्ण हो जायेगें। **(पृष्ठ संख्या 30)**।

- सेवानिवृत कार्मिक श्री एरिक्सन जस्टिन, क्लर्क ग्रेड–प्रथम (जन्म तिथि 03. 09.1955) अनुबन्ध पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 13402–11 दिनांक 19. 01.2019 के तहत दिनांक 18.11.2018 से 17.05.2019 तक रिक्त पद क्लर्क ग्रेड–द्वितीय के विरूद्ध अनुबन्ध पर कार्य करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, उम्मेदगंज, कोटा पर नियुक्ति दी गई। इन्हे दिनांक 17.05.2019 को 03 वर्ष पूर्ण हो जायेगें। **(पृष्ठ संख्या 31)**।

शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप–3) विभाग के पत्र क्रमांक प॰3(50) कृषि–3/2015 दिनांक 12.10.2015 **(पृष्ठ संख्या 32)** की अनुपालना में द्वितीय प्रबन्ध मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय बोम–02/2016/09 के अनुसार 02 वर्ष के उपरान्त संविदा अवधि में अभिवृद्धि प्रबन्ध मण्डल की पूर्वानुमति से की जा सकेगी। विश्वविद्यालय में अभी नियमिति कार्मिको की भर्ती में समय लगने की संभावना है।

अतः कार्य की आवश्यता एवं महत्व को देखते हुये श्री भंवर लाल नरसल (सहायक अभियंता) को दिनांक 05.12.2018 से; श्री महेन्द्र कुमार शर्मा (क्लर्क ग्रेड–प्रथम) को दिनांक 04.02..2019 से; श्री टी॰सी॰ जैन (वरिष्ठ लिपिक) को दिनांक 03.03.2019 से;श्री राधेश्याम एनिया (क्लर्क ग्रेड–प्रथम) को दिनांक 09.03. 2019 से; श्री राम सहाय बैथाडा (क्लर्क ग्रेड–प्रथम) को दिनांक 01.04.2019 से तथा श्री एरिक्सन जस्टिन (क्लर्क ग्रेड–प्रथम) को दिनांक 18.05.2019 से **(समस्त को एक वर्ष)** एवं श्री ओ॰ पी॰ गोयल (निजि सचिव) को दिनांक 21.01.2019 से 11.08. 2019 **(65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक)** तक अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने, जो भी पहले हो तक कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 11.07.2017 **(पृष्ठ संख्या 33 से 35)** के प्रावधानों के अनुसार संविदा पर पुर्नः नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित है। इन कार्मिकों ने पारिश्रमिक मानदेय पर लगने के लिये सम्बन्धित प्रभारी/अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर रखा है।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय **प्रस्ताव का अवलोकन किया और सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

कार्यवाही ***कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।***

बोम–10/2019/07: **राज्य स्तरीय JET/ Pre-PG/ Ph.D प्रवेश परीक्षा 2019 आयोजित करने के केन्द्रों बाबत।**

शासन उप–सचिव, राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप–3) विभाग के पत्र क्रमांक प॰3(11) कृषि–3/2012 जयपुर दिनांक 02.08.2018 के अनुसार **(पृष्ठ संख्या 36)** कृषि विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा राज्य स्तरीय JET/ Pre-PG/ Ph.D प्रवेश परीक्षा 2019–20 दो वर्ष के लिये आयोजित की जानी है। यह परीक्षा छः परीक्षा केन्द्र बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा एवं जोधपुर **(पृष्ठ संख्या 37)** पर आयोजित की जानी है।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय **प्रस्ताव का अवलोकन किया और सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

कार्यवाही ***अधिष्ठाता एवं जेट कार्डिनेटर, कृषि महाविद्यालय, कोटा।***

बोम–10/2019/08: **विश्वविद्यालय के सेवानिवृत कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी राशि का भुगतान करने बाबत।**

वर्तमान में विश्वविद्यालय मे पेंशन प्राप्त कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या 28 है, जिन्हें ग्रेज्युटी का भुगतान किया जाना है। श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–3) विभाग के आदेश संख्या पं.3 (6) कृषि /ग्रुप–3/2014 दिनांक 03.04.2017 के तहत् नवीन कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद पेंशन रेगुलेशन 1990 के अर्न्तगत पेंशन योजना लागू है, ऐसे कार्मिकों को नियमानुसार पेंशन परिलाभों का भुगतान सम्बन्धित नवीन कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जावेगा **(पृष्ठ संख्या 38 से 39)**। वर्तमान मे विश्वविद्यालय के ग्रेज्युटी के फण्ड़ मे राशि 194.63 लाख रूपयें जमा है। जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृति तिथि के वरियता के क्रम मे ग्रेज्युटी का भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय प्रस्ताव का अवलोकन किया और सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही *वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।*

बोम–10/2019/09: **विश्वविद्यालय के पेंशनरों को चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण किये जाने बाबत।**

वर्तमान मे विश्वविद्यालय से 50 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा हैं पेंशन मेडिकल फण्ड में राज्य सरकार की निर्धारित दरों के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से कटौतियां की जा रही है। वर्तमान में इस फण्ड में लगभग 28.00 लाख रूपये जमा है, जिसमें से प्रति वर्ष प्रत्येक पेंशनर्स को राशि 12,000.00 रूपये अधिकतम सीमा तक चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण किये जाने का प्रावधान किये जाने हेतु प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय **प्रस्ताव का अवलोकन किया और सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

कार्यवाही *वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।*

बोम–10/2019/आर–01 **विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये आदेशो व विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19 का अवलोकन / पुष्टिकरणः**

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न जारी किये गये आदेश का विवरण निम्न प्रकार है :

1. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के वार्षिक प्रतिवेदन को पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत कियाः
2. एफ ( )/एयू/कोटा/सम्बद्धता/2018/12215–30 दिनांक 31.12.2018 **(पृष्ठ संख्या 40) रिपोर्टिंग आइटम**
3. एफ ( )/एयू/कोटा/सम्बद्धता/2018/12231–46 दिनांक 31.12.2018 **(पृष्ठ संख्या 41) रिपोर्टिंग आइटम**
4. एफ ( )/एयू/कोटा/सीओए/2019/13087–100 दिनांक 16.01.2019 **(पृष्ठ संख्या 42) रिपोर्टिंग आइटम**
5. एफ( )/एयू/कोटा/2017/9024–34 दिनांक 10.11.2017 **(पृष्ठ संख्या 43) पुष्टिकरण हेतु**
6. एफ( )/एयू/कोटा/2017/10194–204 दिनांक 14.12.2017 **(पृष्ठ संख्या 44) पुष्टिकरण हेतु**

उपरोक्त आदेश अवलोकनार्थ एवं पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किये गये।

निर्णय : जारी किये गये आदेशों का सर्वसम्मति से अनुमोदन एवं पुष्टिकरण किया गया।

बोम–10/2019/वि–01 कुलपति की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन किये जाने हेतु प्रबंध मण्डल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन किये जाने बाबत्।

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 25 (1) (क) के अन्तर्गत नये कुलपति की नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति के गठन हेतु प्रबंध मण्डल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन कर इसकी सूचना राजभवन, जयपुर भिजवाई जानी है। वर्तमान कुलपति डॉ. जी. एल. केशवा का कार्यकाल 13.03.2019 को पूर्ण हो रहा है। प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर एक शिक्षाविद् मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णय : **प्रस्ताव का पर विचार विमर्श कर डॉ आर. एन. गोस्वामी पूर्व निदेशक प्रसार शिक्षा, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को मनोनीत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिनका विवरण निम्न है:**

डॉ आर. एन. गोस्वामी
सेवानिवृत निदेशक प्रसार शिक्षा,
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
पता : मकान संख्या 3 जे 30 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.)
मो. 9413376087
ईमेलः goswamirn@gmail.com

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक नियमित कुलपति की नियुक्ति नही होती है तब तक वर्तमान कुलपति डॉ. जी. एल. केशवा को इस विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 25 (3) (5) एवं (6) के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में लम्बित कार्यो को पूर्ण करने एवं विश्वविद्यालय के हित में पुनर्नियुक्ति या सेवाकाल वृद्धि/कार्यव्यवस्था करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।

कार्यवाही *कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।*

बोम–10/2019/टी–01 जिला कलक्टर बांरा द्वारा अपने पत्रांक एफ–8/सामान्य/2009/ 1262 दिनांक 01.02.2019 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, अन्ता में कम्युनिटी रेडियों स्थापित करने हेतु अनुमति चाही है इस हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र, अन्ता में एक कक्ष आरक्षित करने का अनुरोध किया है जिसका लाभ विश्वविद्यालय एवं किसानों को भी मिलेगा। इसके अर्तगत योजना में लगने वाले व्यय (अनुमानित 15 लाख रूपये) में से 7.50 लाख रूपये भारत सरकार द्वारा दिये जावेगें, शेष 7.50 लाख रूपये सीएसआर अर्न्तगत एनटीपीसी अन्ता द्वारा दिये जावेगें।

निर्णय : प्रस्ताव का अवलोकन कर विचार विर्मश किया और सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही *कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।*

1/2/19
कुल सचिव

1.2.19
कुलपति